तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प झाडगांव में पेश हुई। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ, जिसे शा0 मि0 किया गया। वादी द्वारा वांछित रिलीफ के कम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया। वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से ग्राम चोपडखेडी एवं ग्राम खेडा भोपाल स्थित भूमियों में रकबा पूर्ति एवं नाम दुरूस्ती की रिलीफ चाही है। उक्त रिलीफ के कम में विधिक विचारण के उपरान्त यह तथ्य प्रकट होते है कि वादी द्वारा रकबा पूर्ति के सम्बन्ध में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे यह प्रकट नहीं होता है कि वादी का कमी रकबा किस खसरा नम्बर में बढाया गया है, जिससे उक्त रिलीफ वादी को दिया जाना संभव नहीं है। ग्राम चोपडखेडी स्थित खाता नं0 72 पर वादी का नाम मन्नालाल अंकित है तथा खाता नं0 44 पर पन्नालाल अंकित है, जबकि वादी का वास्तविक नाम पन्नालाल है। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत झाडगांव द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ग्राम खेडा भोपाल स्थित खाता नं0 23 पर स्थित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में भी वादी का नाम पन्नालाल ही अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार योग्य है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम चोपडखेडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 193 रकबा 0.73 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम मन्ना पुत्र माधो के स्थान पर पन्ना पुत्र माधो दर्ज किया जावें। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (ल० क० वि० प्रा०)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प झाडगांव

उनवान

पन्ना लाल पुत्र माधो लाल जाति मीणा निवासी खेडा गोपाल तहसील दीगोद जिला कोटा।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 45/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम चोपडखेडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 193 रकबा 0.73 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम मन्ना पुत्र माधो के स्थान पर पन्ना पुत्र माधो दर्ज किया जावें।" तदनुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प झाडगांव में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 01.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner